

-2-

महोदय,

गोबर धन योजनान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद की धनराशि की सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की अनुमन्यता है, अएतव सं०-3 से 7 पर 25 घन मीटर से 140 घन मीटर क्षमता वाले संयंत्रों को ग्राम पंचायतों में स्थापित किया जाना श्रेयस्कर होगा। योजनान्तर्गत प्रति जनपद ₹० 48.00 लाख की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद से अनुमन्य है।

1. जनपद में बायोगैस निर्माण कराये जाने हेतु कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 03 प्रतिशत धनराशि परफार्मेंस सिक्योरिटी के दृष्टिगत बैंक गारंटी के रूप में रख-रखाव ओएनडम पीरीयड तक संरक्षित की जायेगी।
2. संस्था द्वारा शुरूआत से ही उसी गांव के जिस गांव में बायोगैस प्लांट का निर्माण कराया जा रहा हो, के स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य को सम्मिलित रखा जायेगा। तथा प्लांट के संचालन व रख-रखाव के लिए दक्ष किया जायेगा। जिससे कि ओएनडम पीरीयड के पश्चात् हैण्डओवर होने पर प्लांट का समुचित रख-रखाव व संचालन किया जा सके। यदि उस गांव का स्वयं सहायता समूह का सदस्य उपलब्ध न हो तो ऐसी परिस्थिति में किसी निकटस्थ गांव के स्वयं सहायता समूह के सदस्य को लिया जा सकता है।

संस्था को भुगतान चरणबद्ध तरीके से निम्नवत् किया जायेगा-

क्र० सं०	गतिविधि पूर्ण करना	निर्धारित समय सीमा	भुगतान
1	संस्था द्वारा डी.पी.आर. तैयार कराकर तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना	अधिकतम 10 दिवस	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25 प्रतिशत धनराशि
2	50 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूर्ण करने पर	अधिकतम 45 दिवस	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25 प्रतिशत धनराशि
3	निर्माण कार्य पूर्ण कर प्लांट संचालित करना	अधिकतम 45 दिवस	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 40 प्रतिशत धनराशि
4	आपरेशन एण्ड मेन्टेनेंस	01 वर्ष तक	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10 प्रतिशत धनराशि दो बराबर छमाही किस्तों में
कुल		100 दिसव एवं 01 वर्ष रख-रखाव	शत-प्रतिशत भुगतान

दिनांक :- 24/03/2023

ह० प्रथम पक्ष

(कुर्वर सिंह यादव)
जिला पंचायत राज अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

ह० द्वितीय पक्ष

Pankaj Dwivedi
7338548586
Pankaj
24/3/2023

गवाहन नं०-1

रामवीर सिंह
लेखाकार
जिला पंचायत राज अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

गवाहन नं०-2

जिला कलेक्टर
गौतमबुद्धनगर

ATTESTED

24/03/2023

Narash Kumar
(Advocate)
Reg. No. 5107/95
Ch. No. - 21, Collectorate
Surajpur, G. B. Nagar